68/2024

हमनें पक्षकारान की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन के विधि के परिपेक्ष्य में विवेचन किया, जिसके अनुसार पाया गया कि पूर्व रिकार्डेड पक्षकारान विप्रार्थी सं. 15 द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना निहित सम्पूण हक हिस्सा विप्रार्थी सं. 18 से 20 के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के पंजीबंद्ध कय की गई है, परन्तु वादग्रस्त भूमी पर स्थगन होने से कयशुदा भूमि के अंकन की प्रविष्टि राजस्व रेकर्ड में करवाना चाहता है। पत्रावली में माफिक आदेश प्रार्थी वकील द्वारा विगत लम्बे समय से संशोधित शीर्षक भी प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अदालत न्यायहित में विप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब के तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिक्षणोपंरात FOOTSTEPS के तौर पर विप्रार्थी सं. 15 द्वारा किये गये बेचान को दृष्टिगत रखते हुए विप्रार्थी सं. 18 से 20 को राजस्व रेकर्ड अमलदारामद किये जाने की इस्तदुआ स्वीकार योग्य है। साथ ही रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व विभाजन के वाद में उन्हें उनके कब्जा काश्त के हकों से महरूम किये जाने हेतु जरिये स्थगन उन्हें पावन्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा ग्राम झरोखा तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 63/6 रकबा 7.2792 हैक्टयर, खसरा संख्या 3 रकबा 11.4878 हैक्टयर व खसरा संख्या 51/9 रकबा 10.8649 हैक्टयर भूमि के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा जारी अस्थाई स्थगन दिनांक 07.06.2024 को निरस्त करते हुए आवेदन खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:09:31 IST
Reason: SelfAttested